संख्या-116/2019/ 719/19-27-सिं0-4-29(डब्ल्यू)/2019

प्रेषक,

अनीता वर्मा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक: 23 अप्रैल,2019

विषय :सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अधीन गठित जल उपभोक्ता समितियों से सिविल कार्य कराये जाने हेतु वर्गीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-26/सह0सिं0प्र0प्र0/वर्गीकरण, दिनांक 29 जनवरी, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा-5-2(ग) तथा धारा-16(2) में निहित प्राविधानान्तर्गत 'जल उपभोक्ता समितियों' को सिंचाई विभाग में सिविल कार्य हेतु निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है :-

क्र0 सं0	सक्षमता का स्तर	कार्य
1	**2**	**3**
1	क्रियाशील	1. नहर चलने के दौरान कटान (खांदी) की मरम्मत तथा अनाधिकृत बंधों/अवरोधों को हटाना। 2. नहर चलने के दौरान अनाधिकृत कुलाबों को हटाना। 3. गेट मरम्मत से सम्बन्धित कार्य। 4. कमाण्ड क्षेत्र के विकास(गूल निर्माण/मरम्मत आदि) से सम्बन्धित कार्य।
2	विकासशील	1. सिल्ट सफाई एवं जंगली घास को हटाना। 2. बैंक/डौला/सर्विस रोड/गेज/कुलाबा की मरम्मत। 3. नहर की क्षति को ठीक करना तथा अवरोधों को हटाना। 4. नहर चलने के दौरान कटान (खांदी) की मरम्मत तथा अनाधिकृत बंधों/अवरोधों को हटाना। 5. नहर चलने के दौरान अनाधिकृत कुलाबों को हटाना तथा गेट मरम्मत से सम्बन्धित कार्य। 6. कमाण्ड क्षेत्र के विकास(गूल निर्माण/मरम्मत आदि) से सम्बन्धित कार्य।
3	विकसित	1. पुनर्स्थापना कार्य। 2. पक्के कार्यों की मरम्मत। 3. डौला/सर्विस रोड (कच्ची/पक्की) आदि का सुदृढ़ीकरण। 4. मापक यंत्रों/पक्के/चिनाई कार्यों का पुनर्निर्माण। 5. सिल्ट सफाई एवं जंगली घास को हटाना। 6. बैंक/डौला/सर्विस रोड/गेज/कुलाबा की मरम्मत। 7. नहर की क्षति को ठीक करना तथा अवरोधों को हटाना। 8. नहर चलने के दौरान कटान (खांदी) की मरम्मत तथा अनाधिकृत बंधों/अवरोधों को हटाना। 9. नहर चलने के दौरान अनाधिकृत कुलाबों को हटाना। 10. गेट मरम्मत से सम्बन्धित कार्य। 11. कमाण्ड क्षेत्र के विकास(गूल निर्माण/मरम्मत आदि) से सम्बन्धित कार्य।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उ0प्र0 सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अधीन गठित की गयी 'जल उपभोक्ता समितियों' से विभाग में सिविल कार्य कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

(1) **<u>वर्गीकरण की प्रक्रिया</u>**- खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर वर्गीकरण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। प्रस्ताव पर अधिशासी अभियन्ता की स्वीकृति प्राप्त कर प्रति वर्ष 01 दिसम्बर को संलग्न परिशिष्ट-2 प्रकाशित किया जायेगा। परिशिष्ट-2 के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों तक जल उपभोक्ता समितियों से आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा इसका अन्तिम प्रकाशन प्रत्येक वर्ष 30 दिसम्बर को किया जायेगा। वर्गीकरण का यह कार्य प्रति वर्ष किया जायेगा। जल उपभोक्ता समितियों द्वारा अन्तिम प्रकाशन पर 15 दिवस की समयावधि में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को अपील की जा सकेगी। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपील का निस्तारण अपील प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा। प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) **<u>वर्गीकरण के मानक में संशोधन</u>**- निर्धारित मानकों (संलग्न परिशिष्ट-1) में यथा समय यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन/हटाने/नये मानकों में वृद्धि का अधिकार प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 में निहित होगा।

(3) **<u>सक्षम नहर अधिकारी के दायित्व</u>**- सक्षम नहर अधिकारी का दायित्व होगा की जल उपभोक्ता समितियों को सहायता प्रदान कर उनकी क्षमतावृद्धि इस प्रकार की जाय कि समस्त "जल उपभोक्ता समितियाँ" विकसित स्तर पर पहुँच जायें, जिससे अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

(4) **<u>रजबहा समिति के दायित्व</u>**- रजबहा समिति का दायित्व होगा की अल्पिका समितियों को सहायता प्रदान कर उन्हें विकसित स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगी।

(5) **<u>मानदेय-</u>** सक्षम नहर अधिकारी द्वारा पिम मैनुअल के प्रस्तर-118 में उल्लिखित पदाधिकारियों के मानदेय पर सहमति उन्हीं जल उपभोक्ता समितियों को दी जायेगी जो क्रियाशील/विकासशील/विकसित की श्रेणी में आयेगी।

(6) **<u>जल उपभोक्ता समिति को सम्मान-पत्र-</u>** प्रत्येक खण्ड की विकासशील एवं विकसित जल उपभोक्ता समितियों से प्रति वर्ष प्रथम 03 जल उपभोक्ता समितियों (03 अल्पिका समिति एवं 03 रजबहा समिति) का चिन्हांकन कर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सम्मान पत्र दिया जायेगा। प्रथम 03 जल उपभोक्ता समितियों का चिन्हांकन खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। चिन्हाँकन करने में उन विकासशील एवं विकसित समितियों को वरीयता दी जायेगी, जिनके कार्य क्षेत्र में सिंचाई में उल्लेखनीय वृद्धि हो, नहर अपराध एवं अवैध सिंचाई में कमी आयी हो तथा जल बचत हेतु कोई अन्य कार्य किया गया हो।

(7) **<u>सक्षम नहर अधिकारी को सम्मान-पत्र-</u>** सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने संगठन से ऐसे सक्षम नहर अधिकारियों (03 अधिशासी अभियन्ता तथा 06 सहायक अभियन्ताओं) को सम्मान-पत्र दिया जाएगा, जिसके कार्यक्षेत्र में विकासशील एवं विकसित जल उपभोक्ता समितियों की संख्या अधिक से अधिक होगी।

http://sinsanadesh.up.nic.in

(8) **<u>अवर अभियन्ता एवं अन्य कार्मिकों को सम्मान-पत्र-</u>** सम्मान पत्र प्राप्त अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अपने खण्ड के ऐसे अधिकतम 03 अवर अभियन्ताओं एवं अधिकतम 03 अन्य कार्मिकों को सम्मान-पत्र दिया जाएगा, जिनके द्वारा जल उपभोक्ता समितियों को विकसित करने में उल्लेखनीय कार्य किया गया हो।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीया,

(अनीता वर्मा सिंह)
विशेष सचिव

<u>संख्या:-116/2019/719(1)/19-सिं0-4-29(डब्लू)/19 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-26/सह0सिं0प्र0प्र0/वर्गीकरण, दिनांक 29 जनवरी, 2019 के सन्दर्भ में।
2- मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं शोध/बजट/अग्रिम नियोजन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (पैक्ट/जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, पिम, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /2019/ 719/19-27-सिं0-4-29(डब्ल्यू)/2019, दिनांक अप्रैल,2019 का संलग्नक (परिशिष्ट-1)

उ0प्र0 सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा-16(2) के अधीन सिविल कार्य कराने हेतु जल उपभोक्ता समितियों की सक्षमता स्तर के निर्धारण हेतु मानक

क्र0 सं0	समिति का नाम	जल उपभोक्ता समिति की सक्षमता का मानक		
		क्रियाशील स्तर	विकासशील स्तर	विकसित स्तर
1	अल्पिका समिति	1. पैन/टैन/जी0एस0टी0एन0 की उपलब्धता। 2. वर्ष में प्रबन्धन समिति की न्यूनतम 06 बैठकों का कार्यवृत्त। 3. वर्ष में सामान्य सभा की न्यूनतम 02 बैठकों का कार्यवृत्त। 4. सक्षम नहर अधिकारी की जल उपभोक्ता समितियों के साथ आहूत बैठकों में से न्यूनतम 60 प्रतिशत बैठकों में अध्यक्ष/प्रतिनिधि की उपस्थिति। 5. समिति के बैंक खाते खुले हों। 6. कैशबुल, चेकबुक, चैकबुक निर्गत करने की पंजिका की उपलब्ता।	1.पैन/टैन/जी0एस0टी0एन0 की उपलब्धता। 2. वर्ष में प्रबन्धन समिति की न्यूनतम 06 बैठकों का कार्यवृत्त। 3. वर्ष में सामान्य सभा की न्यूनतम 02 बैठकों का कार्यवृत्त। 4. सक्षम नहर अधिकारी की जल उपभोक्ता समितियों के साथ आहूत बैठकों में से न्यूनतम 60 प्रतिशत बैठकों में अध्यक्ष/ प्रतिनिधि की उपस्थिति। 5. समिति द्वारा कुलाबों का रोस्टर तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन करना। 6. अल्पिका के हेड रीच में गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में सींच में बढ़ोत्तरी की तुलना में टेल रीच में गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष की सींच में अधिक बढ़ोत्तरी होना। 7. समिति के बैंक खाते खुले हों। 8. कैशबुल, चेकबुक, चैकबुक निर्गत करने की पंजिका को अद्यतन करना। 9. सामान्य सभा द्वारा समिति हेतु पारित बजट की उपलब्धता। 10. एकमुश्त क्रियाशील अनुदान के कृषक अंश की उपलब्धता।	1.पैन/टैन/जी0एस0टी0एन0 की उपलब्धता। 2. वर्ष में प्रबन्धन समिति की न्यूनतम 06 बैठकों का कार्यवृत्त। 3. वर्ष में सामान्य सभा की न्यूनतम 02 बैठकों का कार्यवृत्त। 4. सक्षम नहर अधिकारी की जल उपभोक्ता समितियों के साथ आहूत बैठकों में से न्यूनतम 60 प्रतिशत बैठकों में अध्यक्ष/ प्रतिनिधि की उपस्थिति। 5. समिति द्वारा कुलाबों का रोस्टर तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन करना। 6. अल्पिका के हेड रीच में गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में सींच में बढ़ोत्तरी की तुलना में टेल रीच में गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष की सींच में अधिक बढ़ोत्तरी होना। 7. समिति के बैंक खाते खुले हों। 8. कैशबुल, चेकबुक, चैकबुक निर्गत करने की पंजिका को अद्यतन करना। 9. सामान्य सभा द्वारा समिति हेतु पारित बजट की उपलब्धता। 10. एकमुश्त क्रियाशील अनुदान के कृषक अंश की उपलब्धता। 11. अन्य अशासकीय स्रोतों से आय की उपलब्धता। 12. अभियन्ता/लेखाकार की उपलब्धता।

http://sbgandesh.up.nic.in

क्र0 सं0	समिति का नाम	जल उपभोक्ता समिति की सक्षमता का मानक		
		क्रियाशील स्तर	विकासशील स्तर	विकसित स्तर
2	राजवाहा समिति	1. पैन/टैन/जी0एस0टी0एन0 की उपलब्धता। 2. वर्ष में प्रबन्धन समिति की न्यूनतम 06 बैठकों का कार्यवृत्त। 3. वर्ष में सामान्य सभा की न्यूनतम 02 बैठकों का कार्यवृत्त। 4. सक्षम नहर अधिकारी की जल उपभोक्ता समितियों के साथ आहूत बैठकों में से न्यूनतम 60 प्रतिशत बैठकों में अध्यक्ष/प्रतिनिधि की उपस्थिति। 5. समिति के बैंक खाते खुले हों। 6. कैशबुल, चेकबुक, चैकबुक निर्गत करने की पंजिका की उपलब्ता।	1.पैन/टैन/जी0एस0टी0एन0 की उपलब्धता। 2. वर्ष में प्रबन्धन समिति की न्यूनतम 06 बैठकों का कार्यवृत्त। 3. वर्ष में सामान्य सभा की न्यूनतम 02 बैठकों का कार्यवृत्त। 4. सक्षम नहर अधिकारी की जल उपभोक्ता समितियों के साथ आहूत बैठकों में से न्यूनतम 60 प्रतिशत बैठकों में अध्यक्ष/ प्रतिनिधि की उपस्थिति। 5. राजवाहा के हेड रीच में गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में सींच में बढ़ोत्तरी की तुलना में टेल रीच में गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष की सींच में अधिक बढ़ोत्तरी होना। 6. समिति के बैंक खाते खुले हों। 7. कैशबुल, चेकबुक, चैकबुक निर्गत करने की पंजिका को अद्यतन करना। 8. सामान्य सभा द्वारा समिति हेतु पारित बजट की उपलब्धता।	1. पैन/टैन/जी0एस0टी0एन0 की उपलब्धता। 2. वर्ष में प्रबन्धन समिति की न्यूनतम 06 बैठकों का कार्यवृत्त। 3. वर्ष में सामान्य सभा की न्यूनतम 02 बैठकों का कार्यवृत्त। 4. सक्षम नहर अधिकारी की जल उपभोक्ता समितियों के साथ आहूत बैठकों में से न्यूनतम 60 प्रतिशत बैठकों में अध्यक्ष/ प्रतिनिधि की उपस्थिति। 5. रोस्टर तैयार करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा आयोजित बैठक में सम्मिलित होना। 6. राजवाहा के हेड रीच में गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में सींच में बढ़ोत्तरी की तुलना में टेल रीच में गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष की सींच में अधिक बढ़ोत्तरी होना। 7. समिति के बैंक खाते खुले हों। 8. कैशबुल, चेकबुक, चैकबुक निर्गत करने की पंजिका को अद्यतन करना। 9. सामान्य सभा द्वारा समिति हेतु पारित बजट की उपलब्धता। 10. अन्य अशासकीय स्रोतों से आय की उपलब्धता। 11. अभियन्ता/लेखाकार की उपलब्धता।

(उमेश चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /2019/ 719/19-27-सिं0-4-29(डब्ल्यू)/2019, दिनांक अप्रैल,2019 का संलग्नक (परिशिष्ट-2)

वर्गीकरण का प्रकाशन

क्र0 सं0	समिति का नाम	पैन/टैन/ जी0एस0 टी0एन0 (हॉं/नहीं)	प्रबन्धन समिति की बैठकों की संख्या	सामान्य सभा की बैठकों की संख्या	नहर अधिकारी की बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत	कुलाबा रोस्टर (हॉं/ नहीं)	टेल रीच की सापेक्षिक सींच बढ़ोत्तरी तथा हेड रीच की सापेक्षिक सींच बढ़ोत्तरी का अनुपात	समिति के खाते (हॉं/ नहीं)	अद्यतन कैशबुक/ चेकबुक (हॉं/ नहीं)	सामान्य सभा द्वारा पारित बजट की उपलब्धता (हॉं/ नहीं)	अन्य अशासकीय स्रोतों से आय (हॉं/ नहीं)	अभियन्ता/ लेखाकार की उपलब्धता (हॉं/नहीं)	समिति का वर्ग/श्रेणी (क्रियाशील/ विकासशील/ विकसित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(उमेश चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in